भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 अक्तूबर, 2025

संख्या लैज. 20/2025.– दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटिज टू मैम्बर्स) सेकंड अॅमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक प्रथम 9 अक्तूबर, 2025 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:–

2025 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19

हरियाणा विधान सभा (सदस्य–सुविधा) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2025
हरियाणा विधान सभा (सदस्य–सुविधा) अधिनियम, 1979 को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा विधान सभा (सदस्य–सुविधा) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा विधान सभा (सदस्य–सुविधा) अधिनियम, 1979 की धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– 1979 के हरियाणा अधिनियम 9 की धारा 3 का संशोधन।

"3. सुविधाएं.– (1) ऐसी शर्तों तथा परिसीमाओं के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, प्रत्येक सदस्य को,–

(i) निर्मित गृह या फ्लैट खरीदने के लिए या गृह निर्माण के लिए या सहकारी ग्रुप आवासीय सोसाइटी, जिसका वह सदस्य है, द्वारा निर्मित किए जाने वाले फ्लैट के लिए गृह निर्माण अग्रिम; या

(ii) मोटर कार खरीदने हेतु; या

(iii) खण्ड (i) और (ii) दोनों,

के लिए प्रतिसंदेय अग्रिम के रूप में एक करोड़ रूपए से अनधिक की राशि का भुगतान किया जा सकता है:

परन्तु यदि किसी सदस्य ने पहले ही एक करोड़ रूपए की राशि से कम का मोटर कार अग्रिम आहरित किया है, तो वह शेष राशि के लिए गृह निर्माण अग्रिम आहरण करने के लिए पात्र होगा:

परन्तु यह और कि ऐसा सदस्य, केवल ऐसे गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज के साथ मूलधन राशि का प्रतिसंदाय करने के बाद और उसके द्वारा पहले से ही आहरित मोटर कार अग्रिम राशि, यदि कोई हो, को भी एक करोड़ रूपए में से घटाने के बाद, दूसरी बार के लिए गृह निर्माण अग्रिम आहरण करने के लिए पात्र होगा:

परन्तु यह और कि ऐसा सदस्य, ऐसे गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज के साथ मूल धनराशि का प्रतिसंदाय करने के बाद और उसके द्वारा पहले से ही आहरित मोटर कार अग्रिम, यदि कोई हो, को भी एक करोड़ रूपए में से घटाने के बाद, केवल शेष राशि के पचास प्रतिशत की सीमा तक तीसरी बार के लिए गृह निर्माण अग्रिम आहरण करने के लिए पात्र होगा:

परन्तु यह और कि यदि किसी सदस्य ने पहले ही एक करोड़ रूपए से कम का गृह निर्माण अग्रिम आहरित किया गया है, तो वह शेष राशि के लिए मोटर कार अग्रिम आहरण करने के लिए पात्र होगा:

परन्तु यह और कि ऐसा सदस्य, केवल पहले से ही आहरित ऐसे मोटर कार अग्रिम पर ब्याज के साथ मूल धनराशि का प्रतिसंदाय करने के बाद और उसके द्वारा पहले से ही आहरित गृह निर्माण अग्रिम, यदि कोई हो, को भी एक करोड़ रूपए में से घटाने के बाद, दूसरी बार मोटर कार अग्रिम आहरण करने के लिए पात्र होगाः

परन्तु यह और कि सदस्य, हरियाणा विधान सभा के कार्यकाल, जो पाँच वर्ष या कम की अवधि का हो सकता है, में दो बार मोटर कार अग्रिम आहरण करने के लिए पात्र होगा।

(2) कोई सदस्य अपने गृह की बड़ी मरम्मत, परिवर्धन या बदलाव करवाने के लिए अधिकतम दस लाख रूपए तक आहरण करने का भी हकदार होगाः

परन्तु दस लाख रूपए की राशि एक करोड़ रूपए के अतिरिक्त होगी।"।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

12172—L.R.—H.G.P., Pkl.